उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 19-09-2001 को सम्पन्न हुई 180वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19-09-2001 को बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1-	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2-	श्री वी०एन०गर्ग, आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री टी०पी० पाठक, विशेष सचिव, आवास प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास	सदस्य
4-	श्री दया राम, अपर निदेशक प्रतिनिधि सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग उ०प्र० शासन ।	सदस्य
5-	श्रीमती स्मिता चौधरी, वि० सचिव वित्त प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
6-	श्री वी०के० माथुर, मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
7-	डा० एन० के० गर्ग, प्रतिनिधि निदेशक, सी०बी०आर०आई० रुड़की	सदस्य
8-	श्री एस०एम०ए० बुखारी, मुख्य अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
9-	श्री एस०के० द्विवेदी अपर आवास आयुक्त	सचिव

विशेष आमंत्री के रुप में

1-	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2-	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री एस०पी०अग्रवाल, विधि परामर्शदाता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में निवर्तमान आवास आयुक्त श्री रोहित नन्दन के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया साथ ही वर्तमान आवास आयुक्त श्री वी०एन० गर्ग का स्वागत किया गया ।

<u>बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-</u>

मद सं०	विषय	निर्णय
1	2	3
1-	परिषद की १७६वीं बैठक दिनांक २६.५.२००१ के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	पुष्टि की गयी ।
2-	परिषद की १७६वीं बैठक दिनांक २६.५.२००१ की अनुपालन आख्या ।	परिषद की १७६वीं बैठक दिनांक २६.५.२००१ की अनुपालन आख्या का मद संख्या--३० के अनुपालन में प्रकरण को शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया था चूँकि परिषद में सेवा विनियमावली प्राविधानित है, अतः शासन को प्रत्यावेदन भेजने हेतु निर्णय लिया गया ।
3-	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची १,२,३	अवलोकनोपरांत दो सूचियों में संदर्भित--६५ परियोजनाओं हेतु ५५.०० करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदत्त की गयी ।
4-	राजनगर योजना, लखीमपुर की सेवाओं को नगर पालिका, लखीमपुरको हस्तान्तरित करने का कार्य ।	अनुमोदित ।
5-	ट्रान्स यमुना योजना प्रथम चरण आगरा में लिटिल एंजिल स्कूल आगरा हेतु आवंटित क्षेत्रफल ३२४६ वर्गमीटर के अतिरिक्त शेष भू-भाग की भूमि दर के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
6-	मंगल पाण्डेय योजना संख्या--१, मेरठ सेक्टर--३ में स्थित एस०एफ०एस० भवन संख्या १६८/३ के विरुद्ध देय ब्याज को माफकिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
7-	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर--१६ में टैक्सी स्टैन्ड हेतु आरक्षित भूमि के लाइसेन्स सम्बन्धी नियम व शर्तों के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित

1	2	3
8-	परिषद की योजनाओं में सामुदायिक केन्द्र/बारातघर के भूखण्डों को प्राइवेट सेक्टर को भी आवंटित करने हेतु तैयार किये गये नियमों कोतर्क संगत बनाया जाना ।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सामुदायिक केन्द्र/ बारातघर के भूखण्डों का निस्तारण आवासीय दर के डेढ़ गुने पर इस प्रतिबन्ध के अधीन किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत भूखण्ड का उपयोग किसी अन्य उपयोग में लिया जायेगा तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।
9-	परिषद की ट्रान्स यमुना (प्रथम चरण) आगरा में स्थित जीर्ण–शीर्ण अल्प आय वर्ग भवन संख्या १७८, १७७ एवं १७६ में अधिक लगाई गई कीमत के संशोधन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
10-	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–१३ में यू०एन०आई० इम्प्लाइज सोसायटी के सदस्यों को आवंटित भूखण्डों पर निर्माण हेतु समयवृद्वि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
11-	योजना संख्या–२, कानपुर में आवंटन से निरस्त भवन संख्या ए–१५३१ के पंजीकरण की धनराशि जब्त करते हुए किश्तों की धनराशि बिना ब्याज पूर्णरुप से वापस करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।
12-	श्री एस०पी० अग्रवाल, परामर्शदाता (विधि) की नियुक्ति की निरन्तरता के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
13-	निर्माण खण्ड–१३ लखनऊ में कार्यरत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री ओ०पी० सिघंल (सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियन्ता) के विरुद्ध रु० ६५,२२८.०० मूल्य के बिटुमिन से सम्बन्धित आर्थिक क्षति की जांच के सम्बन्ध में ।	न्यायालय के आदेशो की प्रतीक्षा की जाय ।
14-	श्री सुरेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

1	2	3
	सबौली के खसरा संख्या–३५१ में श्री गाजी पुत्र भीमा की अर्जन मुक्त भूमि के स्थान पर आवासीय भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में ।	१७.६.२००१ के मद संख्या–५ पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित ।
25-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–४ (वृन्दावन) लखनऊ की, परिषद अधिनियम की धारा–३० के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	परिषद की उपसमिति की बैठक दिनांक १७.६.२००१ के मद संख्या–३ पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित ।
26-	परिषद की त्रिशूल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–८ बरेली के सम्बन्ध में नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि ।	परिषद की उपसमिति की बैठक दिनांक १७.६.२००१ के मद संख्या–६ पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित ।
27-	ओबरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–३ बाराबंकी के समाविष्ट भूमि खसरा संख्या–३३६ के विरुद्ध परिषद द्वारा लगाई गई विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।	परिषद की उपसमिति की बैठक दिनांक १७.६.२००१ के मद संख्या–८ पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित ।
28-	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ एवं संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ की संयुक्त संस्तुति के आधार पर शकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर एवं अशोक विहार योजना खतौली की विकसित भूमि दरें वित्तीय वर्ष २०००–२००१के समान ही वित्तीय वर्ष २००१–२००२ में भी लागू किया जाना। वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं उसी जोन के संयुक्त आवास आयुक्त के संयुक्त औचित्यपूर्ण संस्तुति के आधार पर विभिन्न योजनाओं की विकसित भूमि दरों को स्थिर रखे जाने का अधिकार आवास आयुक्त को प्रदान किया जाना ।	वित्तीय वर्ष २०००–२००१ में लागू विकसित भूमि दरों को स्थिर रखते हुए वित्तीय वर्ष २००१–२००२ में भी लागू रखा जाय, का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। अलग से यह जानकारी भी प्राप्त कर ली जाय कि मूल्य को स्थिर रखने की क्यों आवश्यकता पड़ी ।
29-	परिषद की वर्ष ९९–२००० की बैलेन्स शीट हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	वित्तीय वर्ष १९९९–२००० का आय व्ययक खाता एवं आर्थिक चिट्ठा अनुमोदित करते हुए महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद को परीक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिये भेजने हेतु निर्णय लिया गया ।
30-	परिषद सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु ब्याज दरों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध मे।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।

1	2	3
31-	''वार्तालोक सहकारी आवास समिति गाजियाबाद के मीडिया एजूकेशन सेन्टर हेतु रु० ५०.०० लाख आवास आयुक्त के माध्यम से दिया जायेगा'' विषयक माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के कम में शासन द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-१९६५ की धारा-९२ (२) के अन्तर्गत परिषद को दिये गये निर्देश क अनुपालन के सम्बन्ध में टिप्पणी ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
32-	परिषद की पाण्डेपुर योजना, वाराणसी स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सी०पी०-१ आवंटित, भारतीय जीवन बीमा निगम के दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
33-	पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु के फलस्वरुप अन्तरण के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
34-	वेतन समिति (१९९७-९९) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों की भाँति परिषद कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
35-	परिषद अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु मेडिकल बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
36-	आगरा स्थित परिषद की सिकन्दरा योजना का नामकरण किया जाना ।	इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि योजना का नाम ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर'' के स्थान पर ''पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम '' रखने का निर्णय लिया गया ।
37-	परिषद के एकाउन्ट्स एवं वित्त प्रबन्धन के सम्बन्ध में परामर्श देने हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट मेसर्स डी० पाठक एण्ड कम्पनी की नियुक्ति विषयक।	परिषद ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि परिषद के कार्य-कलापों को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिये व मैनेजमेन्ट व अन्य प्रकार के आडिट करने के लिये आडीटर की नियुक्ति की जाय परन्तु आवास

1	2	3
		बन्धु से अनुरोध कर लिया जाय कि परिषद अपना आडीटर स्वयं रखेगा, जो परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा ।
38-1	यू०पी०आई०एल० कैम्पस ऐशबाग रोड, लखनऊ में माननीय विधायकों हेतु तीन बेडरुम के तीस फ्लैट्स एवं दो बेडरुम के बाईस फ्लैट्स के निर्माण एवं उसके मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा यू०पी०आई०एल० कैम्पस ऐशबाग रोड लखनऊ में निर्मित भवनों के मूल्य निम्न प्रकार से स्वीकृत :- तीन बेडरुम वाले ८० नग भवन जिनकी प्रति भवन सुपरप्लिंथ एरिया १०८.६६ प्रति वर्गमीटर है, प्रति भवन औसत विक्रय मूल्य रुपया १०६४६१५.००, दो बेडरुम वाले ०४नग भवन, जिनकी सुपरप्लिंथ एरिया ८८.४६ वर्गमीटर है, का प्रति भवन औसत विक्रय मूल्य रुपया ८८८६७५.०० तथा दो बेडरुम वाले १८ नग भवन जिनका प्रति भवन सुपरप्लिंथ एरिया १०१.१० वर्गमीटर है, का प्रति भवन औसत विक्रय मूल्य रु० १०१५६५५.०० स्वीकृत करते हुए समस्त तथ्य, आर्थिक व्यय भार सहित शासन के संज्ञान में लाते हुए दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जायें, तब तक कब्जा की कार्यवाही स्थगित रखी जाय । विद्युत उपकेन्द्र का कार्य व अन्य कार्य जो प्रगति पर हैं, उन्हें यथा समय पूर्ण कराया जाये ।
39-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	——

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 19.09.2001 को सम्पन्न हुई 180वीं बैठक का भूमि अर्जन अनुभाग से सम्बन्धित अनुपूरक कार्यवृत्त

क्रमसं0	उपसमिति की बैठक दि017.9.2001 के कार्यवृत्त का मद संख्या	विषय	निर्णय
1	2	3	4
1–	2	अमरोहा योजना संख्या–2 में समाविष्ट खसरा संख्या–3711व3720कब्रिस्तान भूमि के सम्बन्ध में।	उपसमिति की बैठक दिनांक17.9.01 मद संख्या–2 पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित।
2–	4	वृन्दावन योजना (तेलीबागयोजना संख्या–01)लखनऊ में हुए अतिक्रमण के सम्बंध में ।	परिषद की उपसमिति की बैठक दिनाक 17.09.2001 के मद संख्या 04 पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित ।
3–	7	शासन के द्वारा महोली योजना संख्या–1 मथुरा की 9.75 एकड़ भूमि के असुधारशुल्क के सम्बन्ध में ।	परिषद की उप समिति की बैठक दिनांक 17.09.2001 के मद संख्या–07 पर लिये गये निर्णय के अनुसार अवलोकित ।

2.11.2001

1	2	3
		बन्धु से अनुरोध कर लिया जाय कि परिषद अपना आडीटर स्वयं रखेगा, जो परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा ।
38-	यू०पी०आई०एल० कैम्पस ऐशबाग रोड, लखनऊ में माननीय विधायकों हेतु तीन बेडरुम के तीस फ्लैट्स एवं दो बेडरुम के बाईस फलैट्स के निर्माण एवं उसके मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा यू०पी०आई०एल० कैम्पस ऐशबाग रोड लखनऊ में निर्मित भवनों के मूल्य निम्न प्रकार से स्वीकृत :- तीन बेडरुम वाले ८० नग भवन जिनकी प्रति भवन सुपरप्लिंथ एरिया १०८.६६ प्रति वर्गमीटर है, प्रति भवन औसत विक्रय मूल्य रुपया १०६४६१५.००, दो बेडरुम वाले ०४नग भवन, जिनकी सुपरप्लिंथ एरिया ८८.४६ वर्गमीटर है, का प्रति भवन औसत विक्रय मूल्य रुपया ८८८६७५.०० तथा दो बेडरुम वाले १८ नग भवन जिनका प्रति भवन सुपरप्लिंथ एरिया १०१.१० वर्गमीटर है, का प्रति भवन औसत विक्रय मूल्य रु० १०१५६५५.०० स्वीकृत करते हुए समस्त तथ्य, आर्थिक व्यय भार सहित शासन के संज्ञान में लाते हुए दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जायें, तब तक कब्जा की कार्यवाही स्थगित रखी जाय । विद्युत उपकेन्द्र का कार्य व अन्य कार्य जो प्रगति पर हैं, उन्हें यथा समय पूर्ण कराया जाये ।
39-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	——

2. 11. 2001